भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †191

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

केरल में प्रसाद योजना

†191. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रसाद योजना के तहत अचनकोविल, आर्यनकावु और कुलथुपुझा श्री धर्म संस्था मंदिरों के विकास के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सबरीमाला तीर्थयात्रा के संबंध में उक्त मंदिरों के महत्व से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रसाद योजना के अंतर्गत उक्त मंदिरों के बुनियादी ढांचे के विकास कोई की आवश्यकता के संबंध में कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त मंदिर को योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि तीर्थयात्रा के लिए पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में पूर्व चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों में अवसंरचना विकास के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में प्रसाद (तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान) योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय इन स्थलों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ने प्रशाद योजना के अंतर्गत 1621.14 करोड़ रू. की लागत से 46 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने केरल में 45.19 करोड़ रू. की लागत से गुरूवायूर मंदिर का विकास नामक एक परियोजना को स्वीकृति दी है और यह परियोजना भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है।

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केरल में 312.47 करोड़ रू. की संयुक्त लागत से कुल 5 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है । इन परियोजनाओं में से एक 'सबरीमाला-एरूमेली-पम्पा-सन्निधानम का विकास' परियोजना के तहत सबरीमाला मंदिर को शामिल किया गया है जिसे वर्ष 2016-17 में 46.54 करोड़ रू. की लागत से स्वीकृति दी गई थी और यह परियोजना भौतिक रूप से पूरी हो चुकी है।

प्रशाद योजना के अंतर्गत तीर्थस्थलों/विरासत स्थलों का चयन विभिन्न मानदंडों पर आधारित है जिनमें अन्य के साथ-साथ तीर्थयात्राओं की संख्या, उक्त स्थान का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विरासत महत्व, उक्त गंतव्यों में रिहायशी आबादी, देशव्यापी विकास सुनिश्चित करने के लिए समान प्रतिनिधित्व, निधियों की उपलब्धता और विभिन्न अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपरोक्त पर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श करके और उनसे विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विचार किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के लिए नियमित रूप से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन/तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया जाता है।

*****